Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में लडकी का अपहरण करने के आरोपी जाहिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त जाहिद अंसारी पुत्र जमील निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लडकी के अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 274/2018 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जाहिद को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

BAGHPAT POLICE

सर्विलांस सैल

जुलाई 2024

सर्विलांस सैल बागपत द्वारा जनता के खोये हुए 51 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 20 लाख रूपये) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया सुपुर्द:-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनता के खोये हुए मोबाईल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल जनपद बागपत को गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सर्विलांस सेल की टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए जनपदीय, गैरजनपदीय व गैर प्रान्तों से कुल 51 विभिन्न कम्पनियों के मल्टी मीडिया मोबाईल फोनों को बरामद करने में महत्तवपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, बरामद किए गए मोबाईल फोनों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रूपये है। बरामद मोबाईल फोनों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज दिनांक 16.07.2024 को पुलिस लाईन सभागार में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

कुल बरामदगी:-

- 51 विभिन्न कम्पनियों के मल्टीमीडिया मोबाईल फोन (कीमत लगभग 20 लाख रूपये)

बरामद मोबाईल फोन का विवरण:-

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	संख्या
01	सैमसंग	06
02	वन प्लस	04
03	पोको	04
04	टेक्नो	04
05	वीवो	11
06	रियल मी	05
07	रेडमी	05
08	ओप्पो	12
कुल मोबाइल फोन		51

बरामद करने वाली टीम:-

प्र0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय सर्विलांस सैल टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक 16.07.2024**

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने गुमशुदा 08 वर्ष के नाबालिक बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा गुमशुदा 08 वर्ष के नाबालिक बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बालैनी पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी।
2-व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह सिद्धू थाना बालैनी।
3-का0 809 शिवकुमार सोलंकी थाना बालैनी।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 16.07.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राकेश पुत्र नानूराम निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-दिल्लू उर्फ दिलशाद पुत्र बुन्दू निवासी कस्बा अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत।

3-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत।

4-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।

5-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत।

6-का0 982 नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 16.07.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः-

बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र सतीश निवासी ग्राम आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-है0का0 526 मनीष थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 16.07.2024**

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

शाहरूख पुत्र शाहरुन पुत्र जमशैद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 566 इन्द्राज थाना रमाला जनपद बागपत।